बिहार विधान परिषद् से प्राप्त तारांकित प्रश्न	
श्री सतीश कुमार, माननीय स0वि0प0 द्वारा बिहार विधान परिषद् के 189वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या आर0आर0–01 क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**दिनेश चन्द्र यादव** माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	**उत्तर**
।क। क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत बंजरीया प्रखंड में अगस्त 2017 में आई बाढ़ में 1 हजार 47 घर ध्वस्त हो गये थे। सरकारी मापदण्ड के अनुसार प्रति परिवार 2 सौ रूपये का भुगतान होना था। जिसकी सूची बनाकर अंचल कार्यालय में जमा कर दिये गये है ;	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के प्रतिवेदनानुसार बंजरिया प्रखंड में अगस्त 2017 में आयी बाढ़ में श्रेणीवार क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या–978 प्रतिवेदित है। सरकारी मापदण्ड के अनुसार श्रेणीवार क्षतिग्रस्त मकानों का प्रति लाभुक 2100/3200/5200/95100 रू0 की दर से भुगतान होना था।
।ख। क्या यह सही है कि फुलवार उत्तरी में 17, फुलवार दक्षिणी में 25, चैलाहा 40, सेमरा 60, अजगरी 36, जटवा 260, पचरूखा पूर्वी 30, पचरूखा माध्यम 125, पचरूखा पश्चिमी 140 उक्त पंचायतों में घर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था ;	आंशिक स्वीकारात्मक। फुलवार उत्तरी–17, फुलवार दक्षिणी में 25, रोहिणीया–76, सीसवा पूर्वी–156, सिसवा पश्चिमी–47, बंजरिया–35, चैलाहां–40, सेमरा–66, अजगरी–36, जनेरवा (जटवा)–41, पचरूखा मध्य–169, पचरूखा पश्चिम–133 तथा पचरूखा पूर्वी–137 घर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए थे।
।ग। यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान हेतु परिवारों द्वारा सभी कोरम को पूरा करने के बावजूद मुआवजा दिलाना चाहती है, यदि हां तो कब तक नही तो क्यों ?	कुल 960 लाभुकों के बीच श्रेणीवार अनुदान राशि मो0–10112900 (एक करोड़ एक लाख बारह हजार नौ सौ) रू0 का भुगतान कर दिया गया है। शेष 18 लाभुक जाँचोपरान्त भुगतान योग्य नही पाये गये।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–01/वि0प0–ता0प्र0–13/2018/.............................../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–3431(05) दिनांक–18.07.2018 के क्रम में कुल 05 (पॉच) प्रतियों में/संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(आमोद कुमार शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–01/वि0प0–ता0प्र0–13/2018/.............................../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–01/वि0प0–ता0प्र0–13/2018/.......1870.........../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 1/7/19

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीध्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28.6.19
सरकार के अपर सचिव